

## एपीडा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक

एफ.डी-2017-18-00006

16.06.2017

एपीडा की प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक के रूप में छः करोड़ रुपए एपीडा द्वारा आवंटित किए गए हैं। इस योजना से संबंधित विवरण हमारी वेबसाइट [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in) पर "व्यापार प्रचार योजना" मेन्यू के अधीन उपलब्ध है। इस योजना के घटक संशोधन हेतु विचाराधीन हैं। हालांकि जब तक इन घटकों में संशोधन नहीं किया जाता, मौजूदा योजना 30 सितंबर 2017 तक जारी रहेगी।

अनुसूचित जातियों से संबंधित एपीडा के सभी सदस्य निर्यातक एपीडा योजना के अंतर्गत उपलब्ध इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें: श्री एस.एस. नैय्यर, महाप्रबंधक, फोन.न: 011-26514046, मोबाईल: 09811299352, ई मेल: : [ssnayyar@apeda.gov.in](mailto:ssnayyar@apeda.gov.in)